




छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक 26-05-2010

क्रमांक एफ 1-23/2010/16:-राज्य शासन एतद् द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 272 (2) (क) में "(चार) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र भी मान्य होगा" अर्न्तनिहित करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(के०डी० कुंजाम)
उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 1-23/2010/16

रायपुर दिनांक 26-05-2010

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम, मंत्रालय, रायपुर
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर
4. समस्त जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल, रायपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल, रायपुर
6. संचालक, जनसंपर्क प्रकाशन विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर समुचित प्रसारण के लिए प्रेषित।
7. उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनादगांव (छ.ग.) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उक्त अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित 25 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. संबंधित अधिकारी
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. स्टॉक फाइल


उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग